कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com / Fax no - 07864-284278

क्रमांक / 3038 स्था. / मु.चि.अ / 2020

सुकमा, दिनांक 20/10/2020

—:: **सूचना** ::—

विषय :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (ए.एन.एम.) महिला की रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा आपत्ति के पश्चात् मेरिट सूची प्रकाशन करने के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषयांर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (ए.एन.एम.) महिला के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. / एफ1–60 / 202 / 17–एक, दिनांक 27.07.2020 द्वारा 253 (जिला सुकमा में 61) ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (ए.एन.एम.) महिला के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहमति / अनुमति उपरांत संचालनालय के पत्र क्रमांक / स्थापना अवि. / 175 / 2020 / 585A नवा रायपुर, दिनांक 17.08.2020 द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (ए.एन.एम.) महिला के 253 (जिला सुकमा में 61) पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 18.08.2020 से 01.09.2020 तक ऑनलाईन, आवेदन विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर आमंत्रित किए गए थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा द्वारा ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों की सूची का परीक्षण / चयन समिति का बैठक कर आवेदन परीक्षण उपरांत प्रारंभिक अनंतिम मेरिट सूची तैयार कर दावा अपत्ति हेतु आमांत्रित किया गया था दावा अपत्ति पश्चात् सूची प्रकाशन एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 22.10.2020 से 23.10.2020 .को समय 10.00 बजे से 05.00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ0ग0) के सभा कक्ष में उक्त पद के अनुरूप दुगना अभ्याथियो को अमांत्रित किया गया है । जिसकी सुचना हेतु जिले के वेबसाईट **www.sukma.gov.in** एवं विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर प्रकाशन किया गया है।

अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 22.10.2020 से 23.10.2020 .को समय 10.00 बजे से 05.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ0ग0) के सभा कक्ष में अभ्यार्थी अपना समस्त शैक्षणिक संबधित मूल दस्तावेज के साथ 2 सेट फोटो कापी तथा 2 फोटो साथ ही पहचान हेतु पहचान पत्र (आधार कार्ड / पेन कार्ड / ड्राईविग लाईसेंस / मतदाता परिचय पत्र) कोई एक के साथ उपस्थित होवे । अगर कोई अभ्यार्थी अपना कोई भी मूल दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध नही कराते है तो उनको अपात्र के श्रेणी में रखा जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उनके स्वंय की होगी।

नोटः– 01. दिनांक 22.10.2020 को सरल क. 01 से 02 अन्य पिछडा वर्ग, 01 विकलांग पद, सरल क. 01 से 02 अनुसूचित जाति वर्ग एवं सरल क. 01 से 35 तक अनुसुचित जन जाति के अभ्यार्थियो को दस्तावेज सत्यापन हेतु अमांत्रित किया जाता है ।

02. दिनांक 23.10.2020 को अनुसुचित जन जाति के क. 36 से 77 तक अभ्यार्थीयो को दस्तावेज सत्यापन हेतु अमांत्रित किया जाता है ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा (छ0ग0)